एससीटीसी संख्या 860

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

से संबंधित

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा"

विषय संबंधी

तेईसवाँ प्रतिवेदन

24.03.2023 लोक सभा में प्रस्तुत किया

24.03.2023 राज्य सभा पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

24 मार्च, 2023/ 4 चैत्र, 1945 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

समिति (2022-23) की संरचना..... III

प्राक्कथन..... V

प्रतिवेदन

अध्याय एक

प्रतिवेदन

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

परिशिष्ट

I. दिनांक 10.06.2022 और 11.10.2022 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश

II. 23.3.23 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य – लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी #
4. श्री गुमान सिंह दामोर
5. श्री अनिल फिरोजिया
6. श्री तापिर गाव
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. कुमारी गोड्डेती माधवी
9. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री विनसेंट एच. पाला
12. श्री छेदी पासवान
13. श्री प्रिंस राज
14. श्री ए. राजा
15. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
16. श्रीमती संध्या राय
17. श्री जगन्नाथ सरकार
18. श्री अजय टम्टा
19. श्री रेबती त्रिपुरा
20. श्री कृपाल बालाजी तुमाने

सदस्य – राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री नीरज डांगी
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री समीर उरांव
25. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
26. श्री राम शकल
27. डा. वी. शिवादासन
28. डा. सुमेर सिंह सोलंकी
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री नबाम रेबिया

 # श्री संतोख सिंह चौधरी का निधन 14.01.2023 को हुआ और वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्री डी.आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री पी.सी. चौल्डा	-	निदेशक
3.	सुश्री पूजा किर्थवाल	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा" विषय संबंधी इस तेईसवाँ प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को अंतिम रूप देने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने दिनांक 10.06.2022 और 11.10.2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित समाग्री और सूचना समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

3. समिति द्वारा दिनांक 23.3.23 को प्रतिवेदन पर विचार किया गया और स्वीकार किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
24 मार्च, 2023
4 चैत्र, 1945 (शक)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित
जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय एक

प्रस्तावना

एनएसएफडीसी की स्थापना नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 के अंतर्गत 'लाभ-निरपेक्ष कंपनी' के तौर पर की गई थी। दिनांक 10.04.2001 को अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) और अनुसूचित जनजातियों के लक्ष्य समूह के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसटीएफडीसी) में कॉर्पोरेशन को दो अलग-अलग कॉर्पोरेशन में विभाजित किया गया था। इस द्विभाजन के परिणामस्वरूप, कार्पोरेशन की जनशक्ति को भी एनएसएफडीसी और एनएसटीएफडीसी के बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था।

उद्देश्य

क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के माध्यम से पात्र अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की आय सृजक योजनाओं को वित्तपोषित करना।

ख) लक्ष्य समूह को एससीए और/अथवा सीए के माध्यम से मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना।

ग) लक्ष्य सूमह के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अनुदान प्रदान करना।

घ) लाभार्थियों के उत्पादों के विपणन हेतु प्रदर्शनियों एवं मेलों की व्यवस्था करना/ उसमें भागीदारी करना।

चैनल पार्टनर

2. एनएसएफडीसी, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपने लक्ष्य समूह की आय सृजक गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, एनएसएफडीसी 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के

माध्यम से कार्य कर रहा है। कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मणिपुर और मिज़ोरम में एक से अधिक एससीए हैं।

अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए, एनएसएफडीसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य संगठनों के साथ करारों पर भी हस्ताक्षर कर रहा है। वर्तमान में, एनएसएफडीसी के पास वैकल्पिक चैनल में 50 चैनलाइजिंग एजेंसियां (सीए) हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (7), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (35), एनबीएफसी-एमएफआई (3) और अन्य संगठन (5) शामिल हैं।

पात्रता मानदंड

3. एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत समावेशन के लिए आवेदकों का पात्रता मानदंड नीचे दिया जा रहा है:

1. आवेदकों को अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए।
2. ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये (08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) तक होनी चाहिए। *कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कोई आय मानदंड नहीं है।*

(क) <u>सेवाओं में आरक्षण</u>

4. समिति को लिखित उत्तर में सूचित किया गया है कि कार्पोरेशन ने अपने स्वयं के भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता (आरपीएस) नियम बनाए हैं। रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में, आरपीएस नियमों के खंड 5 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (अजजा), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम), बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और अन्य श्रेणियों के लिए रिक्तियों और रियायतों का आरक्षण भारत सरकार/लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। भारत सरकार की आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूबीडी के लिए संपर्क अधिकारी नामित किया जा सकता है।"

तदनुसार, एनएसएफडीसी अपनी स्थापना के समय से ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा की गई आरक्षण नीति और आरक्षण के प्रतिशत का अनुपालन कर रहा है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में किए गए आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है:

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद:

भर्ती का तरीका	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अखिल भारतीय आधार पर (खुली प्रतिस्पर्धा से)	15%	7.5%

पदोन्नति द्वारा भरे गए पद:

जहां भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू है, आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है:

क. अनुसूचित जाति : 15%

ख. अनुसूचित जनजाति : 7.5%

5. इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इस संबंध में कार्पोरेशन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करता है। संपर्क अधिकारी आरक्षण आदेशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्पोरेशन में उपलब्ध आरक्षण रजिस्टरों/रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण भी करता है। कार्पोरेशन में आरक्षण रजिस्टरों/रोस्टरों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

निदेशक मंडल

6. एक लिखित प्रश्न के उत्तर में, यह बताया गया है कि एनएसएफडीसी का प्रमुख वर्तमान में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक है, जिसे विभिन्न डेस्क/विंगों अर्थात् परियोजनाओं, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन, एमआईएस/आईटी, ओएल, सीएस, लेखापरीक्षा, विधिक, सीएसआर आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों, एचओडी और डेस्क प्रभारियों की टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभागाध्यक्षों और डेस्क प्रभारियों की टीम को कार्पोरेशन के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	विवरण	कुल पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
1	अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य	4	2	2
2	अनुसूचित जाति विकास कार्पोरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति	3	-	3
3	वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि	1	-	1
4	नाबार्ड के प्रतिनिधि	1	-	1
5	आईडीबीआई के प्रतिनिधि	1	1	-
6	प्रबंध निदेशक, कृषि वित्त निगम	1	-	1
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार या उनके प्रतिनिधि	1	1	-
8	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1	1	-
9	विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के कार्यालय का प्रतिनिधि	1	-	1
10	अभिहित प्रबंध निदेशक	1	1	-
	कुल	**15**	**6**	**9**

7. बोर्ड के वर्तमान सदस्यों और क्या कोई सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, के बारे में विशिष्ट प्रश्न पर मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई थी:

बोर्ड के सदस्यों का नाम	वर्ग
श्री रजनेश के. जेनाव	अनुसूचित जाति
श्री संजय पांडे	सामान्य
श्रीमती कल्याणी चड्ढा	सामान्य
श्री एस.एम. अवाले	सामान्य
श्रीमती अंजुला सिंह माहूर	अनुसूचित जाति
श्री दुर्गा प्रसाद राय	सामान्य

8. साक्ष्य के दौरान, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

"मेरा निवेदन है की इसमें कम से कम चार एससी के डायरेक्टर होने चाहिए। जैसे आपने बोला की तीन से ज्यादा करना था, लेकिन निदेशक ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इसमें बाक़ी चार जनरल कैटेगरी के हैं और दो एससी के हैं। कमेटी के सभी मैंबसर् मेरे साथ आए, क्यूंकि मैं समझता हूँ की इसमें कम से कम चार एससी के लोग होने चाहिए। यह विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए है। इसमें डायरेक्टर भी एससी के होने चाहिए। मैं समझता हूँ की मेजोरिटी में एससी के लोग होने चाहिए। यह केवल अनुसूचित जातियों के लिए है, ताकि उनके हित के लिए निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे को हमें प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना है।"

9. समिति ने निदेशक मंडल में 9 रिक्तियों को भरने और उसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी पूछा। मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरान्त उत्तरों में बताया कि बोर्ड की संरचना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएसएफडीसी के

अनुच्छेद 55(2) में दी गई है। अनुच्छेद 55(2) "अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों" के 4 पदों का प्रावधान करता है। इसके अलावा, यह बताया जाता है कि चूंकि एनएसएफडीसी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है, इसलिए कार्पोरेशन को पात्र अनुसूचित जाति (एससी) लक्ष्य समूह के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा अन्य कोई गतिविधि करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए, विशेष रूप से एनएसएफडीसी का बोर्ड और एनएसएफडीसी प्रबंधन अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावी ढंग से देख रहा है जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिदेश भी है।

10. यह भी बताया गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई) ने 18.11.2021 को 02(दो) गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति की है और गैर-आधिकारिक निदेशकों की 02 रिक्तियां, जो केवल मार्च और अप्रैल, 2022 में रिक्त हुईं, निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया के तुरंत बाद भरी जाएंगी।

11. जहां तक राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों से आधिकारिक निदेशकों के रूप में 3 व्यक्तियों की नियुक्ति सहित एनएसएफडीसी के बोर्ड में आधिकारिक निदेशकों के 7 रिक्त पदों को भरने का संबंध है, तो यह प्रक्रियाधीन है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और नाबार्ड से सिफारिशों के साथ-साथ नामों की प्राप्ति के बाद अधिकारियों को एनएसएफडीसी के बोर्ड में आधिकारिक निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए नामित किया जाएगा।

कर्मचारियों की संख्या

12. मंत्रालय ने लिखित रूप से नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार एनएसएफडीसी में कर्मचारियों की कुल संख्या (31.05.2022 तक) के बारे में अवगत कराया है:

पदों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	संख्या		प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह ए	48	13	3	27.08	6.25
समूह बी	8	4	1	50.00	12.50
समूह सी	20	11	-	55.00	*
कुल	**76**	**28**	**4**		

*प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की गई है। हालांकि, समूह-सी से समूह-बी पदों और समूह-बी से समूह-ए पदों में प्रभावी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, वर्तमान में समूह-सी में अजजा श्रेणी का कोई कर्मचारी नहीं है। कार्पोरेशन समूह-सी में विभिन्न पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया में

है। तदनुसार, समूह-सी पदों पर अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत, रोस्टर बिंदुओं के अनुसार, समूह-सी पदों पर भर्ती करते समय विधिवत रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

भर्ती

13. समिति को यह बताया गया कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान की गई भर्ती निम्नलिखित प्रोफार्मा के अनुसार की गई थी:

उत्तर:

वर्ष	पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या	वास्तव में भरी गई रिक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या		
				पिछले वर्ष से अग्रेनीत	वर्ष के दौरान आरक्षित	कुल
2019-20 2020-21 2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या		अग्रेषित रिक्तियों की संख्या	
पिछले वर्ष से अग्रेनीत	वर्ष के दौरान आरक्षित	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पदोन्नति

14. समिति ने एक लिखित प्रश्नावली में वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान की गई पदोन्नति के ब्यौरे के बारे में पूछा। मंत्रालय ने निम्नवत् ब्योरा प्रदान किया :

वर्ष 2020:

पदों की श्रेणी	पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या	संख्या		प्रतिशत		कमी		प्रतिशत	टिप्पणी
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.		
समूह क	33	9	1	27.27	3.03	-	1*	-	-
समूह ख	6	4	-	66.66	-	-	-	-	-
समूह ग	17	12	-	70.58	-	-	-	-	-

*कमी इसलिए हुई क्योंकि समूह क के अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारी पदोन्नति के मानदंडों अर्थात् फीडर ग्रेड में न्यूनतम वर्षों की सेवा के मानदंड को पूरा नहीं कर रहा। हालांकि, संबंधित अधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिए आवश्यक फीडर ग्रेड में सेवा अवधि के पात्रता मानदंड को पूरा करने पर वर्ष 2022 में यह स्थिति हल हो गई।

वर्ष 2021:

पदों की श्रेणी	पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या	संख्या		का प्रतिशत		कमी		प्रतिशत	टिप्पणी
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.		
समूह क	2	1	-	50	-	-	-	-	-
समूह ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-

वर्ष 2022:

पदों की श्रेणी	पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या	संख्या		का प्रतिशत		कमी		प्रतिशत	टिप्पणी
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.		
समूह क	6	1	1	16.66	16.66	-	-	-	-
समूह ख	3	-	1	-	33.33	-	-	-	-
समूह ग	4	-	-	-	-	-	-	-	-

रोस्टर

15. समिति ने एनएसएफडीसी में रोस्टरों के रखरखाव और इनकी जांच के बारे में भी पूछा की। इस बारे में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि इस मामले में भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए पदों के प्रत्येक संवर्ग के लिए 13 सूत्रीय पद आधारित आरक्षण रोस्टर अलग-अलग रखे जा रहे हैं। इन रोस्टरों की समय-समय पर संपर्क अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी जांचों का ब्योरा निम्नानुसार है:

भर्ती का तरीका	जिस स्तर पर रोस्टर रखा जा रहा है	रोस्टरों की संख्या	रोस्टर अद्यतन / निरीक्षण किए जाने की तारीख
सीधी भर्ती	सभी स्तरों पर	11	31.12.2021
पदोन्नति	समूह 'क' अर्थात् ई-1 के सबसे निचले स्तर तक।	6	31.12.2021

शिकायत निवारण

16. समिति ने एनएसएफडीसी में शिकायतों के निवारण के लिए अपनाए गए तंत्र के बारे में भी पूछा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में बताया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यथित कर्मचारी, यदि कोई हो, अपनी शिकायत/परिवाद/अभ्यावेदन के निवारण के लिए शुरू में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबन्धित संपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकता है। यदि संपर्क अधिकारी के स्तर पर मामला हल नहीं होता है, तो संबंधित कर्मचारी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च

अधिकारियों अर्थात् अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निगम के निदेशक मंडल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से संपर्क कर सकते हैं। यह भी बताया गया है कि निगम में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन अथवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों के निवारण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

17. एक लिखित प्रश्नावली में यह भी पूछा गया था कि क्या प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समस्याओं/शिकायतों को हल करने के लिए उनके साथ आवधिक बैठकें करता है। इसके उत्तर में, यह बताया गया था कि प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ बैठकें करता है ताकि विशिष्ट शिकायतें, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर उनकी समस्याओं/शिकायतों का समाधान किया जा सके। जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करने का संबंध है, यह बताया गया कि प्रबंधन सभी कर्मचारियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित) के साथ नियमित अंतराल पर बैठकें करता है जिसमें प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं/शिकायतों, यदि कोई हों, को सुना जाता है और इस प्रकार उनकी समस्याओं/शिकायतों को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है।

18. समिति को यह भी बताया गया कि निगम में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ नहीं है। बैठक के दौरान, समिति के सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया और निम्नवत् बताया:

".....मैं माननीय सभापति से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के गठन के लिए अपनी ओर से पहल करें क्योंकि फिलहाल वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। संपर्क अधिकारी कोई बैठक नहीं कर रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए एक संघ होना चाहिए।"

19. यह भी बताया गया कि:

"....अभी तक कोई संघ नहीं है। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी किसी समस्या का सामना कर रहे है, मान लीजिए कि 10 सदस्य ही है, तो, उनके मामलों को कौन देखेगा? वे कहां जाएंगे? अपनी ओर से आपको अ.जा. और अ.ज.जा. संघ के गठन के लिए तुरंत पहल करनी चाहिए।"

संविदात्मक आधार पर नियुक्तियां

20. समिति ने एनएसएफडीसी में संविदात्मक नियुक्तियों के संबंध में भी जानकारी मांगी। इसके बारे में, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि निगम (एनएसएफडीसी) अपने वेतन पत्रक पे रोल पर अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां करते समय आरक्षण नीति का पालन करता है। अभी तक किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित पद पर तैनात नहीं किया गया है। इसलिए इसके उत्तर की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

21. यह भी बताया गया था कि एनएसएफडीसी ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से वार्षिक अनरक्षण संविदा के आधार पर हाउसकीपिंग और सुरक्षा सेवाओं तथा अन्य गैर-प्रमुख कार्यों से संबंधित कार्यों को आउटसोर्स किया है। ऐसी सेवाओं के लिए नियोजित श्रमशक्ति संविदाकार/सेवा प्रदाता के कर्मचारी होते हैं। ऐसे मामलों में निगम प्रमुख नियोक्ता होने के नाते यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जा रहा है और उन्हें अनिवार्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी बीमा निगम का सदस्य होना चाहिए।

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

22. अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा आधार पर संगठन में किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं मिली है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए दो आवेदकों के अनुरोध आज की तारीख में लंबित हैं। इन दो आवेदकों में से एक अनुसूचित जनजाति से और एक अनुसूचित जाति श्रेणी से है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित 5% कोटे के तहत रिक्तियां होने पर इन उम्मीदवारों पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए ऋण सुविधाएं

ऋण आधारित योजनाएं:

23. एनएसएफडीसी की 13 ऋण आधारित योजनाएं हैं।

एससीए/पीएसबी/आरआरबी के माध्यम से कार्यान्वित योजना

योजना	इकाई लागत	अधिकतम ऋण	वार्षिक ब्याज	पुनर्भुगतान

		सीमा इकाई लागत के 90% तक	एससीए/सीए	लाभार्थी	अवधि
सावधिक ऋण (टीएल)	50.00 लाख रुपये तक	47.50 लाख रुपये	3-6% #	6-9% #	10 वर्ष में
माइक्रो-क्रेडिट फाइनेंस (एमसीएफ)	1.40 लाख रुपये तक	1.25 लाख रुपये	2%	5%	3.5 वर्ष में
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	1.40 लाख रुपये तक	1.25 लाख रुपये	1%	4%	3.5 वर्ष में
महिला अधिकारिता योजना (मई)	5.00 लाख रुपये तक	4.50 लाख रुपये	2.5%	5.50%	10 वर्ष में
लघु व्यवसाय योजना (एलबीवाई)	5.00 लाख रुपये तक	4.50 लाख रुपये	3%	6%	6 वर्ष में
ग्रीन बिजनेस स्कीम (जीबीएस)	7.50 लाख रुपये तक 7.50 लाख रुपये से अधिक और 15.00 लाख रुपये तक 15.00 लाख रुपये से अधिक और 30.00 लाख रुपये तक	6.75 लाख रुपये 13.50 लाख रुपये 27.00 लाख रुपये	2% 3% 4%	4% 6% 7%	10 वर्ष में
स्टैंड-अप इंडिया (एसआई)	10.00 लाख रुपये से अधिक और 30.00 लाख रुपये तक	27.00 लाख रुपये	6-7% #	9-10% #	स्टैंड-अप इंडिया योजना मानदंडों के अनुसार
स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई)	15.00 लाख रुपये तक	13.50 लाख रुपये (परियोजना-वित्त पोषण के तहत) रु.15.00 लाख	2% (पुरुष) 1% (महिला)	4% (पुरुष) 3% (महिला)	10 वर्ष में
शैक्षिक ऋण योजना (ईएलएस)	रु. 20.00 लाख तक या 90%, जो भी कम हो (भारत में अध्ययन के लिए) रु. 30.00 लाख तक या 90%, जो भी कम हो (विदेश में अध्ययन के लिए)		1.5% (पुरुष) 1% (महिला)	4% (पुरुष) 3.5% (महिला)	10 वर्ष में - 7.50 लाख रुपये तक 15 वर्ष में - 7.50 लाख रुपये से ऊपर
व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस)	4.00 लाख रुपये तक (100%)		1.5% (पुरुष) 1% (महिला)	4% (पुरुष) 3.5% (महिला)	7 वर्ष में
स्माइल योजना (आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए योजना)	5.00 लाख रुपये तक	रु. 4.85 लाख (97%)	2%	4.5%	7 वर्ष में

एनएसएफडीसी के प्रति यूनिट शेयर के आधार पर प्रति वर्ष ब्याज लिया जाता है।

* एनएसएफडीसी इकाई लागत के 90% तक ऋण प्रदान करता है (टर्म लोन और वीईटीएलएस को छोड़कर जहां यह क्रमशः 95% और 100% है)

बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त पोषण के मामले में, शेष ऋण का 100% एनएसएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाता है।

एनबीएफसी-एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित योजनाएं

योजना	इकाई लागत	ऋण की अधिकतम सीमा इकाई लागत का 90% तक	वार्षिक ब्याज*		पुनर्भुगतान अवधि
			एनबीएफसी-एमएफआई	लाभार्थी	
आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई)	1.40 लाख रुपये तक	1.25 लाख	3% (पुरुष) 2% (महिलाएं)	11% (पुरुष) 10% (महिलाएं)	3.5 वर्ष के अंदर

1.3 सहकारी समितियों/बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित योजना

योजना	इकाई लागत	ऋण की अधिकतम सीमा इकाई लागत का 90% तक	वार्षिक ब्याज*		पुनर्भुगतान अवधि
			सहकारी समिति/बैंक	लाभार्थी	
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	रु.5.00 लाख	रु.4.50 लाख	4%	12%	6 वर्ष के अंदर

गैर-ऋण आधारित योजना (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम)

1. एनएसएफडीसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/ स्वायत्त प्रशिक्षण संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/ मानद विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों/क्षेत्रीय कौशल परिषद से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से लक्षित समूह के बेरोजगार युवकों के लिए आयोजित रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों में अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करता है
2. सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करते हैं एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कौशल प्रशिक्षण के सामान्य मानदंडों के अनुरूप है।
3. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निर्धारित सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार शत प्रतिशत पाठ्यक्रम शुल्क और गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुदान के रूप में प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी 1,500/- रु. की दर से वृत्तिका प्रदान की जाती है।
4. **प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) योजना** : वर्ष 2020-21 से, एनएसएफडीसी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, कचरा बीनने वाले, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर, मादक द्रव्यों के सेवन और इसके जैसी अन्य समान श्रेणियों के

पीड़ितों सहित वंचित व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) को लागू कर रहा है।

24. समिति ने एक लिखित प्रश्नावली में एनएसएफडीसी के पास उपलब्ध कुल बजटीय आवंटन/निधियों के बारे में पूछा। मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में कहा है कि अनुमोदित एनएसएफडीसी बजट (वित्तीय वर्ष 2022-23) के अनुसार, अनुमानित धनराशि 963.82 करोड़ रुपये उपलब्ध होगी। दिनांक 31.10.2022 तक, एनएसएफडीसी की अधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रुपये है और संपूर्ण अधिकृत शेयर पूंजी का भुगतान सरकार द्वारा एनएसएफडीसी को इसकी स्थापना के 33 वर्षों के दौरान किस्तों में किया गया है। अधिकृत शेयर पूंजी आमतौर पर एनएसएफडीसी जैसे सीपीएसई के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के लिए निगम को सरकारी वित्त पोषण का एक दीर्घकालिक प्रावधान है। निगम को वर्ष 1989 में 75.00 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी और 25.00 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ निगमित किया गया था। समय-समय पर बढ़ाई गई अधिकृत शेयर पूंजी का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

शेयर पूंजी बढ़ाने की तिथि	अधिकृत शेयर पूंजी (रूपए करोड़ में)
स्थापना के समय	75.00
11.01.1993	125.00
27.01.1995	300.00
03.08.1998	1000.00
09.02.2016	1500.00*

*वर्ष 2016 के दौरान एनएसएफडीसी की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2000.00 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, 1500.00 करोड़ रु.राशि की मंजूरी दी गई थी।

25. साक्ष्य के दौरान समिति के सदस्य ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"इसको नोट किया जाए। देश में इतने शेड्यूल कास्ट हैं वर्ष 1989 से लेकर आज तक लगभग 33 साल हो गएहैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 1,500 करोड़ रूपए दिए गए हैं। यह बहुत ही कम राशि है।इसिलए इस कमेटी को करना चाहिए की मंत्रालय को और ज्यादा फंड देना चाहिए।"

26. साक्ष्योपरांत उत्तरों में, पिछले 05 वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा बजटीय आवंटन और निधियों के व्यय के संबंध में आंकड़े भी प्रदान किए गए थे, जो निम्नवत हैं:

वित्तीय वर्ष	प्राप्त इक्विटी (करोड़ रुपये में)	चैनल पार्टनर्स को संवितरण (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

2017-18	128.21	600.88	1,08,340
2018-19	137.39	671.21	*81,431
2019-20	14.60	681.50	83,970
2020-21	0	548.23	94003
2021-22	0	572.01	76219

27. वर्ष 2021-22 में, एनएसएफडीसी के शेयर पूंजी में वृद्धि के प्रस्ताव के आधार पर, एनएसएफडीसी की अधिकृत शेयर पूंजी को 2500.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए अंतिम ईएफसी ज्ञापन को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों के लिए एमओएसजेएंडई के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17016/01/2021-एससीडी-IV दिनांक 26 अगस्त, 2022 द्वारा परिचालित किया गया है। । जल्द ही ईएफसी की बैठक होने की उम्मीद है।

<u>लाभार्थियों का चयन</u>

28. समिति ने एनएसएफडीसी में मौजूद विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया के साथ-साथ उन्हें ऋण वितरण और अनुसूचित जाति के आवेदकों की अस्वीकृति, यदि कोई हो, के आधार क्या हैं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। तदनुसार, साक्ष्योपरांत उत्तरों में यह कहा गया था कि एनएसएफडीसी ऋण अनुसूचित जाति के पात्र ऋण लेने वालों को इसके चैनल भागीदारो के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। एनएसएफडीसी चैनल वित्त प्रणाली में कार्य करता है जिसमें अनुसूचित जाति के आवेदकों की पहचान और उनके चयन चैनलाइजिंग एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। लाभार्थियों के चयन में मंत्रालय या एनएसएफडीसी की कोई भूमिका नहीं होती है। तथापि, एनएसएफडीसी ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के लिए एक मानक शर्त निर्धारित की है कि ऋण केवल उन पात्र लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जो उनके द्वारा चुनी गई व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन करने की क्षमता रखते हैं।

चैनलाइजिंग एजेंसियां आमतौर पर लाभार्थियों के चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाती हैं :

- समूह योजनाओं के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन
- जिला/ प्रधान कार्यालय में साक्षात्कार के बाद लाभार्थियों का चयन
- एससीए पोर्टलों में संभावित आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करना (लागू मामलों में)
- ड्रा द्वारा चयन (गुजरात में), यदि अर्हक आवेदकों की संख्या अधिक है

अनुसूचित जाति के आवेदकों की अस्वीकृति के कारणों का आधार

- एनएसएफडीसी मानदंडों से अधिक परियोजना की लागत।
- स्पष्टीकरण मांगने वाले एनएसएफडीसी के पत्रों पर एससीए की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना।
- एनएसएफडीसी मानदंडों से अधिक आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को समुचित गारंटी या संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करने में असमर्थता।

निधियों का संवितरण

29. एनएसएफडीसी ने लिखित उत्तरों में राज्यों के एससीए और चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीए) को संवितरण की प्रक्रिया को भी रेखांकित किया है।यह कहा गया है कि एससीए एनएसएफडीसी को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिनकी जांच की जाती है और परियोजना मंजूरी समिति में चर्चा की जाती है और एससीए को मंजूरी (पत्र/एलओआई) जारी किए जाते हैं। एससीए स्वीकृति के लिए निबंधन और शर्तों की सांकेतिक स्वीकृति के रूप में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के साथ डुप्लीकेट स्वीकृति पत्र की 01 प्रति लौटाते हैं। आशय–पत्र (एलओआई) स्वीकृति प्रस्तुत करते समय, एससीए भी निधियों के संवितरण के लिए अनुरोध करते हैं।

एनएसएफडीसी निधियों के संवितरण के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

एससीए को संवितरण के लिए मानदंड

एससीए को निधियों के संवितरण से पहले, निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाता है:

- **गारंटी:**

राज्य सरकार की पर्याप्त गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेश/राज्य सरकार के आश्वासन की उपलब्धता

- **उपयोगिता स्तर:**

फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम **80%** संचयी उपयोगिता स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोगिता स्तर **80%** होना चाहिए।

- **बकायों की पुनर्भुगतान:**

एक वर्ष से अधिक की कोई अधिदेय राशि नहीं होनी चाहिए। उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं के तहत संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहां तक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अधिदेय का न होना, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय सुनिश्चित किया जाता है।

- **सीए (पीएसबी/आरआरबी) के लिए मानदंड**

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियां) को एनएसएफडीसी से धन के संवितरण के लिए पात्र होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है। ये मानदंड निम्नवत हैं

- मांग के भुगतान के समय पूर्व संवितरण की कोई अधिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।
- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथापि मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- उपरोक्त के अलावा पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होती है :

  क) संवितरण के वर्ष से पहले पिछले 6 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) 15% से कम होनी चाहिए।

  ख) आरआरबी संवितरण के वर्ष से पहले पिछले 6 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभ (निवल लाभ) में होना चाहिए।

  ग) किसी भी नियामक संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

  घ) समामेलित/विलय हुई संस्थाओं के मामले में, संबंधित प्रायोजक बैंक के पास आरआरबी के प्रमुख भागीदार के पिछले वर्षों के एनपीए मानदंडों पर विचार किया जाएगा।

- **अन्य संगठनों के लिए मानदंड**

एनएसएफडीसी के पक्ष में एनएसएफडीसी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) द्वारा जारी सावधि जमालियन/बैंक गारंटी/मल्टीसिटी पोस्ट डेटेड चेक।

- **एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मानदंड**

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, एनबीएफसी-एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियां) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है। ये मानदंड निम्नवत हैं:

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोगिता स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोगिता स्तर 80% होना चाहिए।
- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अधिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं होनी चाहिए।

ख. एनबीएफसी-एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति की निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा:-

- क्लस्टर मोड के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी, जो वितरित की जाने वाली राशि के बराबर या पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा शामिल है। संवितरित की जाने वाली राशि के 50% के बराबर एक दिनांक रहित पीडीसी।

- गैर-क्लस्टर मोड के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से गारंटी/सावधि जमा, जो संवितरित की जाने वाली राशि के बराबर या संबंधित संपत्ति के स्वामी(यों) की निजी/कारपोरेट गारंटी सहित आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के रूप में 50% तक और शेष पीएसबी से गारंटी/सावधिक जमा के रूप में।

- **सहकारी बैंकों के लिए मानक**

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी बैंकों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण की पात्रता हेतु कुछ मानकों को पूरा करना पड़ता हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।

- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए

तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति (एनपीए) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए । इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होना चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

➢ सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट।

- **<u>सहकारी समितियों के लिए मानक</u>**

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी समितियों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक इस प्रकार हैं:

➢ संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।

➢ परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

▪ उपरोक्त के अलावा, सहकारी समितियों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

▪ सहकारी समिति की शेयर पूंजी में केन्द्रीय/राज्य सरकार को हित धारक होना चाहिए।

▪ केन्द्रीय/राज्य सरकार को सहकारी समिति के निदेशक मंडल/शासी निकाय में सदस्यों का नामित करना चाहिए।

▪ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की निवल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां (एनपीए) इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

❖ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

• चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की क्रिसिल के 'ए' के समकक्ष पर्याप्त सुरक्षा के साख की रेटिंग होनी चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले तीन वर्षों में किसी बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए या किसी कॉर्पोरेट ऋण को पुनर्गठित नहीं करवाया हो।

- सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

प्रूडेंशियल नॉर्म्स को पूरा करने पर, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि के माध्यम से एससीए को निधियां संवितरित की जाती हैं। एनएसएफडीसी अपनी ऋण नीति के अनुसार एससीए को निधियों के संवितरण की तारीख से 120 दिनों की निधियों की उपयोग अवधि प्रदान करता है। संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

30. **<u>राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) का कार्यनिष्पादन</u>**

(क) निष्पादन निगरानी

एससीए, एनएसएफडीसी द्वारा स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित, निगरानी तंत्र का ब्योरा इस प्रकार है:

1. एससीए/सीए के लिए निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें लाभार्थियों के सभी अपेक्षित विवरण और उन्हें संवितरित की गई राशि शामिल है।

2. एनएसएफडीसी के अधिकारी एससीए की बोर्ड बैठकों में भाग लेते हैं और एनएसएफडीसी योजनाओं से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

3. लंबित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकारों और एससीए/सीए अधिकारियों के साथ एनएसएफडीसी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. एनएसएफडीसी एससीए/सीए के साथ नियमित अंतराल पर अपनी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

5. लंबित मुद्दों की समीक्षा की जाती है और एससीए की क्षेत्रीय कार्यशालाओं में उनका समाधान किया जाता है।

6. एनएसएफडीसी के संपर्क केंद्रों और प्रधान कार्यालय के अधिकारी समय-समय पर एनएसएफडीसी द्वारा वित्तपोषित इकाइयों का निरीक्षण करते हैं। औचक निरीक्षण के लिए चल रहे कौशल प्रशिक्षण स्थल पर इसी तरह का दौरा किया जाता है।

7. एनएसएफडीसी प्रत्येक वर्ष चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी योजनाओं (ऋण और गैर- ऋण दोनों) के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन अध्ययन करता है, ताकि लाभार्थियों की प्रतिक्रिया ली जा सके और लक्ष्य समूह की आजीविका पर योजनाओं के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

(ख) एससीए के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार हैं:

एससीए के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए, एनएसएफडीसी बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले एससीए की सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य एससीए के साथ साझा करता है। एनएसएफडीसी कुछ एससीए के लिए बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले एससीए के दौरों की सुविधा प्रदान करता है ताकि अच्छा कार्यनिष्पादन करने वाले एससीए में विद्यमान प्रणालियों का अध्ययन किया जा सके।

- **वसूली अवसंरचना के विकास के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसएसडीआरआई)**

एनएसडीसीएफसी वर्ष 2007-08 से प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत किसी वित्तीय वर्ष में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकाई गई कुल राशि का 0.5% की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है, यह ऐसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए है, जिनकी वित्त वर्ष के अंत में संचयी वसूली 60% से अधिक है अथवा पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 10% पॉइंट का वसूली सुधार है और जो एनएसएफडीसी को शत-प्रतिशत अदायगी कर रहे हैं।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के अनुरोध पर, योजना को इस प्रकार उदार बनाया है:

(i) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को शत-प्रतिशत अदायगी करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.5% उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में एनएसएफडीसी को 90% अदा करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.25% उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा उनका वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

❖ 'बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए एनएसएफडीसी प्रोत्साहन योजना (एनआईपीएस)

निगम, बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले एससीए की प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 से 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी बेहतर कार्य रेटिंग तंत्र और बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कार' की योजना चला रहा है। योजना का नाम संशोधित कर **'बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले एससीए का एनएसएफडीसी प्रोत्साहन' (एनआईएपीएस)** कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। नई योजना वर्ष 2016-17 से लगभग रु 45.00 लाख प्रति वर्ष के कुल बजट से कार्यान्वित की गई है। **'बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले एससीए का एनएसएफडीसी प्रोत्साहन' (एनआईएपीएस)** के अंतर्गत एससीए को कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जोकि इस प्रकार है:

श्रेणी	मानदंड	पुरस्कार (रुपए लाख में)			कुल
		पहला	दूसरा	तीसरा	
I	एनएसएफडीसी से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में सैद्धांतिक आबंटन की तुलना में `3.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	5.00	3.00	2.00	10.00
II	एनएसएफडीसी से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में सैद्धांतिक आबंटन की तुलना में `3.00 करोड़ से अधिक और `10.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	7.00	5.00	3.00	15.00
III	एनएसएफडीसी से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में सैद्धांतिक आबंटन की तुलना में `10.00 करोड़ से अधिक की निधि लेने वाले एससीए	10.00	6.00	4.00	20.00
	कुल	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

ऋण संवितरण

31. समिति को गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों से प्राप्त आवेदनों और उन्हें संवितरित ऋण के ब्यौरे के बारे में भी बताया गया था, जो कि इस प्रकार है:

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
प्रस्ताव करने वाले लाभार्थियों की संख्या	159765	52890	166140	102525	92790	574110
लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ऋण संवितरित किया गया	108340	81431	83970	94002	76219	443962

32. गत 05 वर्षों के दौरान बैंक द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दिए गए अधिकतम ऋण के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, यह बताया गया कि सावधि ऋण योजना के तहत एनएसएफडीसी का ₹50 लाख प्रति इकाई तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए इकाई लागत का 95% ऋण जोकि ₹47.50 लाख तक दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के प्रति, विगत 5 वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दिया गया अधिकतम ऋण निम्नवत है:

(राशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	प्रति इकाई संवितरित अधिकतम ऋण	कुल संवितरित ऋण
2017-18	25.07	600.8688
2018-19	23.56	671.2127
2019-20	27.55	681.5039
2020-21	22.35	548.2312
2021-22	26.75	572.0081

प्रति योजना संवितरित ऋण राशि के साथ योजना-वार और राज्यवार लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध ख** में दी गई है।

जागरूकता पहलें

33. समिति ने टिप्पणी की कि एनएसएफडीसी के कार्यकरण और विभिन्न योजनाओं के बारे में लक्षित समूह अर्थात् अनुसूचित जाति के बीच जागरूकता बहुत कम थी और तद्नुसार अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को शामिल किए जाने के लिए विभिन्न क्रेडिट योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया जाए। मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत बताया कि एनएसएफडीसी योजनाओं का राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा अपने जिला/क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाता है। एनएसएफडीसी

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों/मेलों, जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी योजनाओं का प्रचार भी करता है। इसके अतिरिक्त, एनएसएफडीसी प्रत्येक वर्ष शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, नई दिल्ली, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, (आईआईटीएफ), प्रगति मैदान, नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणा जैसे तीन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है जिसमें एनएसएफडीसी सहायता-प्राप्त लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए मुफ्त स्टॉल प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, एनएसएफडीसी इन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के आगंतुकों के बीच जन जागरूकता पैदा करने के लिए उपरोक्त कार्यक्रमों में अपनी योजनाओं के विवरण वाले ब्रोशर और पैम्फलेट प्रदर्शित करता है। एनएसएफडीसी नियमित रूप से मेले/प्रदर्शनियों जैसे (i) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, दिल्ली, (ii) आईएनए दिल्लीहाट, नई दिल्ली और (iii) सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद का आयोजन करता है।

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के अन्य तरीके

- इंडिया@75 उत्सव के भाग के रूप में, NSFDC पूरे भारत में अनुसूचित जाति बहुल जिलों और आकांक्षी जिलों सहित राज्य और जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रचार और जागरूकता शिविरों के माध्यम से अपनी ऋण और कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का प्रचार कर रहा है।
- एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए, एनएसएफडीसी पर एक लघु वीडियो फिल्म हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 9 (नौ) क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की गई थी। बाद में इसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। वीडियो फिल्म को जागरूकता के लिए और सभी संबंधितों के साथ साझा करने के लिए एनएसएफडीसी के सभी एससीए/सीए के साथ भी साझा किया गया था।
- एनएसएफडीसी पर एक लघु फिल्म: दिनांक 14 अप्रैल, 2021 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर लॉन्च की गई। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सहित सभी चैनल पार्टनर्स के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया था।
- एनएसएफडीसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत आयोजित अपनी ऋण आधारित योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रचारित करने के लिए एक लघु फिल्म बनाने की प्रक्रिया में है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम

बंगाल, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश राज्यों में आउटडोर शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म तैयार होने पर सभी एससीए/सीए को अधिकतम प्रचार के लिए भेज दी जाएगी।

- यूट्यूब पर एनएसएफडीसी: निगम की योजनाओं और अन्य पहलों पर एनएसएफडीसी यूट्यूब चैनल पर 14 वीडियो अपलोड किए गए हैं।
- एनएसएफडीसी की विकलांग अनुकूल द्विभाषी वेबसाइट है।
- एनएसएफडीसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर मौजूद है।
- एनएसएफडीसी की गतिविधियां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रेडियो कार्यक्रम 'सँवरती जाएं जीवन की राहें' में भी शामिल हैं।
- लक्ष्य समूह के बीच कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रधानमंत्री दक्ष योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, एनएसएफडीसी ने निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से लक्ष्य समूह के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

  (i) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन।

  (ii) एनएसएफडीसी वेबसाइट पर विज्ञापन।

  (iii) प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से जागरूकता।

  (iv) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से प्रचार।

<u>पिछले तीन वर्षों में आयोजित जागरूकता शिविरों का विवरण इस प्रकार है:</u>

वर्ष 2019-2020 के दौरान आयोजित ऋण- सह - जागरूकता शिविर		
क्र.सं.	**स्थान**	**राज्य**
1.	पूर्वी सिक्किम	सिक्किम
2.	उज्जैन	मध्य प्रदेश
3.	यमुना नगर	हरयाणा
4.	भूपलपल्ली, वारंगल	तेलंगाना
5.	हरिद्वार	उत्तराखंड
6.	सुल्तानपुरी	दिल्ली
7.	लक्ष्मणगढ़, सीकरी	राजस्थान
8.	सीमापुरी	दिल्ली
9.	जयपुर	राजस्थान
10.	धौलपुर	राजस्थान
11.	कठुआ	जम्मू और कश्मीर
12.	पोखरण, जैसलमेर	राजस्थान

13.	बलिया	उत्तर प्रदेश
14.	नोएडा	उत्तर प्रदेश

वर्ष 2020-2021 के दौरान आयोजित ऋण-सह-जागरूकता शिविर

कोविड-19 महामारी के कारण कोई ऋण-सह-जागरूकता शिविर आयोजित नहीं किया जा सका। एनएसएफडीसी ने नवंबर-दिसंबर 2020 के दौरान आईएएमखादी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई द्वारा आयोजित वर्चुअल/डिजिटल हैंडलूम प्रदर्शनी में भाग लिया और लाभार्थियों के उत्पादों को ऑनलाइन मोड में प्रदर्शित किया।

वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोजित ऋण-सह-जागरूकता शिविर

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1.	अंबाला	हरियाणा
2.	पिपलोदा, शाहजनपुर	मध्य प्रदेश
3.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश
4.	कौशाम्बी, बरई, बांधवा	उत्तर प्रदेश
5.	गांव: कुभरा, प्रखंड:मोहनलालगंज, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
6.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
7.	सांबा	जम्मू और कश्मीर
8.	जालंधर, फ़िरोजपुर	पंजाब
9.	श्रीगंगानगर, टोंक, बाड़मेर और बीकानेर	राजस्थान
10.	गांव: चक्रबेधा, बिलासपुर	छत्तीसगढ़
11.	सोलन	हिमाचल प्रदेश
12.	गांव: कांडे, अल्मोड़ा	उत्तराखंड
13.	झांसी, लखनऊ, खुर्जा, गोरखपुर	उतार प्रदेश
14.	गांव: वहाबपुर, चांगमाजरी, हरिद्वार	उत्तराखंड
15.	चंडीगढ़	चंडीगढ़

वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित ऋण-सह-जागरूकता शिविर

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1.	मालवा उत्सव मेला।	इंदौर (एमपी)
2.	'आजादी का अमृत महोत्सव' के प्रमुख कार्यक्रम के तहत ऋण मेला-सह-जागरूकता शिविर	फतेहगढ़ साहिब, पंजाब।
3.	खारची पूजा मेला	अगरतला
4.	एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रचार और जागरूकता के लिए जिले में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया	काकचिंग, मणिपुर
5.	ग्रामोद्योग मेला	चित्रकूट

34. समिति ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों के तकनीकी रूप से कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा स्थापित सुविधा केंद्रों के ब्योरे के बारे में भी जानकारी मांगी। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में, एनएसएफडीसी द्वारा स्थापित ऐसा कोई

समर्पित सुविधा केंद्र ग्राम स्तर पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं है। हालांकि, एनएसएफडीसी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां, जो गांव में स्थित एनएसएफडीसी की चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं, एनएसएफडीसी योजनाओं का प्रचार करती हैं। एनएसएफडीसी एससीए/सीए के साथ ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है और अनुसूचित जाति गांवों के निवासियों के बीच अपनी योजना का प्रचार करता है।

35. समिति ने विभिन्न योजनाओं जैसे कि पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आय सृजन योजनाओं, शैक्षिक ऋण, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्षित समूहों के विशिष्ट सेटों के बारे में जानकारी मांगी। इस संबंध में, साक्ष्योपरांत उत्तरों में यह बताया गया कि एनएसएफडीसी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू की गई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना के तहत अपने लक्षित समूह अर्थात् 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) प्रायोजित कर रहा है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चयनित एसडीटीपी आयोजित करने में ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को कौशल प्रशिक्षण की 100% लागत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान कुल 80% उपस्थिति के अधीन प्रति प्रशिक्षु 1500/- रुपये प्रति माह की दर से वृत्तिका (स्टाइपेंड) प्रदान की जाती है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, प्रायोजित प्रशिक्षण लागत में भोजन और आवास लागत शामिल है। पीएम-दक्ष योजना के तहत चार घटक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(क) अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग/ 35 से 60 घंटे की अवधि और 35 दिनों तक की अवधि वाले पूर्व शिक्षण की मान्यता।

(ख) 200 से 300 घंटे और 3 महीने तक की प्रशिक्षण अवधि वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण।

(ग) 90 घंटे/15 दिनों तक की अवधि का उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।

(घ) 650 घंटे/7 महीने तक की अवधि के दीर्घकालिक पाठ्यक्रम।

36. समिति को आगे बताया गया कि लक्ष्य समूह को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे मशीन ऑपरेटर - प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर - ब्लो मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट - इंजेक्शन मोल्डिंग, फैशन डिजाइनर, स्व-नियोजित दर्जी, ब्यूटी थेरेपिस्ट, फ्लेबेटोमिस्ट, जेरियाट्रिक केयर एड, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सिलाई, फील्ड तकनीशियन कंप्यूटिंग और पेरिफेरल्स, सीएनसी टर्निंग एंड मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स ऑपरेशंस असिस्टेंट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, सीएनसी टेक्नोलॉजी में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स, ऑटोकैड, आदि में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, प्रशिक्षुओं को वैतनिक/स्व-रोजगार में रोजगार प्राप्त करने के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती है।

37. नतीजतन, समिति ने पिछले 03 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए अनुसूचित जातियों की संख्या और इसके परिणामस्वरूप वर्षवार रोजगार प्राप्त करने के संबंध में जानकारी मांगी। एनएसएफडीसी द्वारा दी गई जानकारी नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	वास्तविक (शुरूआत किए गए वर्ष के आधार पर)	रोजगार		
		वैतनिक रोजगार	स्व-रोजगार	कुल योग
2019-20	19,445	6,395	3,292	9,687
2020-21	10,511	3,974	3,455	7,429
2021-22	16,395	5,932	4,926	10,858*

*प्रशिक्षुओं को रोजगार एक सतत प्रक्रिया है और रोजगार संबंधी डेटा संकलित किया जा रहा है।

38. समिति ने उन विभिन्न योजनाओं, जिनके तहत एनएसएफडीसी अनुसूचित जातियों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है, की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में भी जानने की इच्छा व्यक्त की। मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में इसके बारे में विस्तार से बताया है और कहा है कि एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में दो नामित व्यक्ति हैं, अर्थात् संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। बोर्ड समय-समय पर एनएसएफडीसी के निष्पादन की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों के पूर्व-निर्धारित सेट पर एनएसएफडीसी के समग्र निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और एनएसएफडीसी के बीच वर्ष में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। समझौता

ज्ञापन में लक्ष्यों की स्थापना को एमओयू डिवीजन, लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित और सुगम बनाया गया है।

शामिल किए गए लाभार्थी

39. मंत्रालय द्वारा दिये गए साक्ष्योपरांत उत्तर में, समिति को नीचे दी गई तालिका के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न योजना के तहत शामिल किए गए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के बारे में अवगत कराया गया था:

योजनावार शामिल किए गए अनुसूचित जाति के लाभार्थी (क्रेडिट आधारित योजनाओं)

क्रम सं.	योजनाएं	लाभार्थी		
		2019-20	2020-21	2021-22
क.	सावधिक ऋण योजना			
(i)	सावधिक ऋण	3,235	1,450	1847
(ii)	ग्रीन बिजनेस स्कीम	216	533	500
(iii)	स्टैंड अप इंडिया योजना	0	0	0
(iv)	उद्यमनिधि योजना	1,191	0	0
(v)	महिला किसान योजना	200	80	0
(vi)	शिल्पी समृद्धि योजना	100	100	0
(vii)	लघु व्यावसाय योजना	43400	32,124	35414
(viii)	शैक्षिक ऋण योजना	583	284	170
(ix)	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	100	250	0
	उप-योग (क)	**49,025**	**34,821**	**37,931**
ख.	**सूक्ष्म ऋण योजनाएं**			
(i)	माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	5,451	4,245	2,634
(ii)	महिला समृद्धि योजना	29,360	54,785	34,968
(iii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	134	151	686
	उप-योग (ख)	**34,945**	**59,181**	**38,288**
	कुल योग [(क) + (ख)]	**83,970**	**94,002**	**76,219**

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या (गैर ऋण आधारित योजना-पीएम दक्ष)

वित्तीय वर्ष	वास्तविक(प्रारंभ के आधार पर)
2019-20	19,445
2020-21	10,511
2021-22	16,395

40. समिति ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहा। साक्ष्योपरांत उत्तर में, यह बताया गया कि एससीए चैनल के अलावा, एनएसएफडीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और अन्य विकास संगठनों जैसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से पहुंच का विस्तार करने के लिए 2013-14 से एक वैकल्पिक चैनल विकसित किया है। 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, एनएसएफडीसी के चैनल भागीदारों में कई गुना वृद्धि हुई है और वर्तमान में एनएसएफडीसी के पास वैकल्पिक चैनल में 37 एससीए और 52 सीए हैं। एनएसएफडीसी अपने उद्देश्यों और प्रस्तावित परिव्यय/लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2025-26 तक एससीए/सीए की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह उल्लेखनीय है कि बैंकों के मामले में, एनएसएफ़डीसी अनुसूचित जाति के पात्र लाभार्थियों पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए पुनर्वित्त के माध्यम से धन भी उपलब्ध करा रहा है और साथ ही पुनर्भुगतान भी सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि बैंकों द्वारा लाभार्थियों की ऋण पात्रता का पहले ही आकलन कर लिया गया है।

41. यह भी बताया गया कि वार्षिक आधार पर भी संवितरित ऋण की राशि में वृद्धि हुई है और कार्पोरेशन व्यय की तुलना में आय का अधिशेष लगातार सृजित कर रहा है, जिसका उपयोग लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी किया गया है। दूसरी ओर ब्याज सहायता एनएसएफडीसी को कोई ब्याज मार्जिन लाभ प्रदान नहीं करेगी और वार्षिक आधार पर लक्षित समूह को समर्थन देते रहने और दीर्घावधि में अपनी परिचालन लागत को पूरा करने के लिए भी भारत सरकार पर अधिक निर्भर करेगी।

<u>एनएसएफ़डीसी द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदम निम्नवत हैं:</u>

- सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर।
- आवेदक की सुविधा के लिए एसबीएमएस का मोबाइल ऐप विकसित किया गया।
- एससी और बीसी कारीगरों के लिए ऑनलाइन बाजार स्थान प्रदान करने के लिए भारत शिल्प बाजार ई कॉमर्स पोर्टल और मोबाइल ऐप।
- एनएसएफ़डीसी ने पोर्टल और लॉजिस्टिक्स सेवा के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पेमेंट गेटवे के लिए पे यू के साथ टाई-अप प्रक्रिया चल रही है।
- जागरूकता शिविरों/मेलों आदि में ऋण, कौशल संबंधी पूछताछ और आगंतुकों की प्रतिक्रिया के लिए बीम मोबाइल ऐप।
- ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

- अनुसूचित जाति के डेयरी किसानों के प्रशिक्षण-सह-क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आणंद, गुजरात के साथ समझौता ज्ञापन
- फतेहपुर में अनुसूचित जाति के छोटे पशुपालक किसानों के 150 सूक्ष्म उद्यमों को प्रशिक्षित करने और समर्थन करने के लिए द गोट ट्रस्ट (टीजीटी), लखनऊ के साथ समझौता ज्ञापन।

योजनाओं का मूल्यांकन

42. एक लिखित उत्तर में, यह बताया गया था कि एनएसएफडीसी अपने लक्षित समूह के आर्थिक विकास में सुधार पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए अपनी ऋण और गैर- ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। बाह्य मूल्यांकन अध्ययन चुनिंदा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां पिछले वर्ष के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा संबंधित एससीए/प्रशिक्षण संस्थाओं से उपयोग रिपोर्ट/प्रशिक्षण समापन रिपोर्ट प्राप्त की गई थी।

43. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, एनएसएफडीसी ने अपनी ऋण और गैर- ऋण आधारित योजनाओं के बाह्य मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए। अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्षों/परिणामों पर एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष: 2017-18 (ऋण आधारित योजनाएं)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	अध्ययन के दौरान निरीक्षित लाभार्थियों की संख्या	13 राज्यों में 1,654
2.	इच्छित उद्देश्य के लिए सहायता का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,593 (96.31%)
3.	सृजित परिसंपत्तियां रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,570 (94.92%)
4.	गरीबी रेखा (बीपीएल) को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1652* (99.88%)
5.	दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,507 (91.11%)

* इसमें 1463 लाभार्थी शामिल हैं जो ऋण प्राप्त करने से पहले गरीबी रेखा से ऊपर थे।

वर्ष: 2017-18 (गैर-ऋण आधारित योजनाएं)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा		
1.	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या	13 राज्यों में 725		
2.	एनएसएफडीसी का कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी की मांग करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रतिशत	593 (82%)		
3.	प्रशिक्षुओं की वर्तमान रोजगार स्थिति	रोजगार प्राप्त	स्व-रोजगार	बेरोजगार

		331 (46%)	231(32%)	163 (22%)
4.	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं का मासिक वेतन	औसत मासिक वेतन - रु.9,647/-		
5.	स्व-रोजगार प्रशिक्षुओं की मासिक आय	औसत मासिक आय रु.6,526/-		

वर्ष: 2018-19 (ऋण आधारित योजनाएं)

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
1.	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या	9 राज्यों में 1,900
2.	लक्षित उद्देश्य के लिए सहायता का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,873 98.6%
3.	सृजित परिसंपत्तियां रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,767 (93.00%)
4.	गरीबी रेखा (बीपीएल) को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,900 (100%)*
5.	दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	54 (2.8%)

* इसमें 1896 लाभार्थी शामिल हैं जो ऋण प्राप्त करने से पहले गरीबी रेखा से ऊपर थे।

वर्ष: 2018-19 (गैर-ऋण आधारित योजनाएं)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा		
1.	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या	7 राज्यों में 500		
2.	एनएसएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी की मांग करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रतिशत	478 (96%)		
3.	प्रशिक्षुओं की वर्तमान रोजगार स्थिति	रोजगार प्राप्त	स्व-रोजगार	बेरोजगार
		406 (81%)	42 (9%)	52 (10%)
4.	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं का मासिक वेतन	औसत मासिक वेतन रु.13,108/- है।		
5.	स्व-नियोजित प्रशिक्षुओं की मासिक आय	औसत मासिक आय रु. 14,315/- है।		

वित्तीय वर्ष: 2019-20

44. वर्ष 2019-20 के दौरान, एनएसएफडीसी ने अपनी ऋण आधारित योजना और गैर-ऋण आधारित योजना का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया, जिसमें 9 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा में प्रशिक्षित क्रमशः 2,700 और 430 प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों/परिणामों का सार निम्नवत है:

वर्ष: 2019-20 (ऋण आधारित योजना)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	अध्ययन के दौरान निरीक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या	9 राज्यों में 2,700
2.	निहित उद्देश्य हेतु सहायता का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत	2,700 (100%)
3.	सृजित परिसम्पत्तियाँ रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत।	2,700 (100%)
4.	गरीबी रेखा पार (बीपीएल) से ऊपर आने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत	284 (10.52%)
5.	दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) से ऊपर आने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत	315 (11.66%)*

वर्ष : 2019-20 (गैर- ऋण आधारित योजना)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा		
1.	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या	7 राज्यों में 430		
2.	एनएसएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण की उपयोगिता पर संतोष व्यक्त करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और उनका प्रतिशत	361 (84%)		
3.	प्रशिक्षुओं की वर्तमान रोजगार स्थिति।	रोजगार प्राप्त	स्व-नियोजित	बेरोजगार
		(27%)	(12%)	(61%)
4.	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं का मासिक वेतन।	औसत मासिक वेतन 12,500 रु है		
5.	स्वरोजगार प्रशिक्षुओं की मासिक आमदनी ।	औसत मासिक आय 6400 रु है		

*अध्ययन इंगित करता है कि वर्ष 2020 के दौरान कोविड 19 महामारी के कारण नौकरियां जाने से वर्तमान रोजगार आंकड़ों की स्थिति पर असर पड़ा।

वित्तीय वर्ष : 2019-20 (मंत्रालय का मूल्यांकन)

45. वर्ष 2019-20 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एनएसएफडीसी के कार्यकरण के संबंध में स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन अध्ययन भी शुरू किया। अध्ययन में एनएसएफडीसी की ऋण आधारित योजना और गैर-ऋण आधारित योजना का मूल्यांकन भी शामिल है, जिसमें 5 राज्यों अर्थात्, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा में प्रशिक्षित क्रमशः 3,300 और 400 प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों/परिणामों का सार निम्नवत है:

वर्ष: 2019-20 (ऋण आधारित योजनाएं)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	अध्ययन के दौरान निरीक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या।	5 राज्यों में 3,300
2.	निहित उद्देश्य के लिए सहायता उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत ।	3,287 99.60%
3.	सृजित परिसम्पत्ति रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत।	3,282 (99.50%)
4.	गरीबी रेखा (बीपीएल) से ऊपर आने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत।	2,246 (68.10%)
5.	दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) से ऊपर आने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनका प्रतिशत	849 (25.70%)

*1896 लाभार्थी शामिल हैं, जो ऋण लेने से पहले गरीबी रेखा से ऊपर थे।

वर्ष : 2019-20 (गैर- ऋण आधारित योजना)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा

1.	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या	5 राज्यों में 400		
2.	एनएसएफडीसी का कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार की तलाश करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और उनका प्रतिशत।	244 (61%)		
3.	प्रशिक्षुओं की वर्तमान रोजगार स्थिति।	रोजगार प्राप्त	स्व-नियोजित	बेरोजगार
		44%	36%	20%
4.	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं का मासिक वेतन।	14 (8%) - 5000 रु. से कम 100 (57%) –रु. 5,000-10,000/-के बीच 62 (35%) - रु.10,000/-से अधिक		
5.	स्वरोजगार प्रशिक्षुओं की मासिक आमदनी ।	75 (52%) -रु.5,000-10,000/-के बीच 69 (48%) - रु.10,000/- से अधिक		

वर्ष : 2020-21

वर्ष 2020-21 के दौरान, एनएसएफडीसी ने कोविड 19 के कारण महामारी से उत्पन्न तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए अपनी ऋण और गैर-ऋण आधारित योजनाओं का कोई बाहरी मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

वर्ष : 2021-22

एनएसएफडीसी की ऋण और गैर-ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।

पिछले पांच वर्षों में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का सार निम्नवत है:

विवरण	एनएसएफडीसी **द्वारा शुरू किया गया मूल्यांकन**		**मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन 2019-20**
	2017-18	**2018-19**	
कवर किए गए राज्यों की संख्या	13	9	5
निहित उद्देश्य के लिए उपयोग	96.31%	98.6%	99.60%
सृजित परिसम्पत्तियों प्राप्त करने वाले लाभार्थी	94.92%	93.00%	99.50%
बीपीएल से ऊपर आए लाभार्थी	99.88%	100%	68.10%
डीपीएल से ऊपर आए लाभार्थी	91.11%	2.8%	25.70%
2020-21	कोविड 19 के कारण आयोजित नहीं किया गया।		
2021-22	बाह्य मूल्यांकन पार्टी को दिया गया और प्रक्रिया में है।		

46. संचयी उपलब्धि: संवितरण और लाभार्थी

(एक) ऋण आधारित योजनाएं

दिनांक 30.09.2022 की स्थिति अनुसार , एनएसएफडीसी ने अपनी ऋण आधारित योजनाओं की शुरुआत से अर्थात् फरवरी, 1989 से इनके तहत अनुसूचित जाति के 17.00 लाख लाभार्थियों को 7159.07 करोड़ रुपये संवितरित किये हैं। संवितरण 1500.00 करोड़ रुपये की संचयी साम्या सहायता के प्रति किया गया है जो कि प्राप्त साम्या का 4.77 गुणा है।

(दो) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 30.09.2022 की स्थिति अनुसार, एनएसएफडीसी ने अपनी गैर-ऋण योजना अर्थात् कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत अर्थात् फरवरी, 1989 से विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 1,88,773 लक्ष्य समूह को प्रशिक्षित करने के लिए 273.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

टिप्पणिया/सिफ़ारिशें

1. समिति इस तथ्य से निराश है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के अधिदेश के साथ एक अग्रणी संगठन है और इसके निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। निदेशक मंडल में कुल 15 सदस्यों में से वर्तमान में केवल 2 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। समिति को प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, निदेशक मंडल में गैर-सरकारी सदस्यों 2 पद और सरकारी सदस्यों की 7 पद (राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम में 3 सरकारी निदेशक के पदों सहित) रिक्त हैं। समिति पुरजोर रूप से महसूस करती है कि निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को शामिल करना एनएसएफडीसी के समग्र कामकाज को व्यवस्थित से करने में उत्प्रेरक साबित होगा। समिति यह महसूस करती है कि अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित व्यक्ति को अधिक प्रयास करेगा। साथ ही वह लक्षित समूहों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न बाधाओं और कठिनाइयों से अच्छी तरह वाकिफ होगा, जिसके कारण वे एनएसएफडीसी द्वारा पेश की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभों का उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं। तदनुसार वे उन्हें नजरअंदाज करने के लिए तर्कसंगत समाधान भी प्रदान करने में समर्थ होंगे। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि निदेशक मंडल में रिक्त पदों को अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द भरा जाए।

2. समिति इस बात को गंभीरता से लेती है कि समूह क में अजजा का प्रतिनिधित्व 7.5% के निर्धारित प्रतिशत की तुलना में कम है और समूह ग में शून्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समूह क के पदों पर अजजा का अपेक्षित प्रतिशत प्राप्त हो गया है समिति यह चाहती है उसे इस बारे में संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए कोई भर्ती नहीं की गई है। साथ ही संगठन में कोई बैकलॉग नहीं है। हालाँकि, समिति को यह भी बताया गया है कि समूह ग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। समिति को संसद के दोनों सदनों में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के 3 महीने के भीतर इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

3. समिति को बताया किया गया है कि संपर्क अधिकारी द्वारा समय-समय पर रोस्टरों का निरीक्षण किया जाता है। यह भी बताया गया कि पिछली बार रोस्टरों का निरीक्षण दिनांक 31.12.2021 को किया गया था। समिति को इस बारे में अवगत कराया जाए कि क्या रोस्टर निरीक्षण के दौरान कोई विसंगति पाई गई है और उसे दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। यह भी बताया जाए कि क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा भी रोस्टर का निरीक्षण किया जा रहा है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, इस बारे में बताया जाए। समिति सिफारिश करती है कि रोस्टर रखने के संबंध में आरक्षण आदेशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर रोस्टर का निरीक्षण नोडल मंत्रालय द्वारा किया जाए। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो उन अधिकारियों जिन्हें रोस्टर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, को डीओपीटी की देखरेख में आईएसटीएम में प्रशिक्षण दिया जाए।

4. साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया था कि एनएसएफडीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ नहीं है। समिति का मानना है कि यह अत्यंत चिंता का विषय है क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ किसी भी संगठन के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रबंधन के समक्ष अपनी चिंताओं/मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों का उपयुक्त निवारण प्रदान करने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है। एनएसएफडीसी में वर्तमान में 76 कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें से 32 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग आधे कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का गठन अति आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि यदि भविष्य में एनएसएफडीसी में एससी/एसटी एसोसिएशन का गठन किया जाता है, तो इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

5. समिति को यह बताया गया है कि एनएसएफडीसी ने हाउसकीपिंग और सुरक्षा सेवाओं तथा अन्य गैर-प्रमुख कार्यों से संबंधित कार्यों को आउटसोर्स किया है। समिति को संविदात्मक नियुक्ति के माध्यम से नियोजित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों की संख्या संबंधी ब्योरा प्रदान किया जाये। इसके अतिरिक्त समिति मंत्रालय और ओएमसी का ध्यान डीओपीटी के दिनांक 15.05.2018 के आदेश संख्या 36036/3/2018-स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहती है, जिसमें यह कहा गया है कि 45 दिनों से कम समय तक के लिए की गई नियुक्तियों को छोड़कर सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि एनएसएफडीसी प्रमुख नियोक्ता होने के नाते ठेकेदारों को उक्त आदेश का अक्षरश: पालन करने के लिए बल दे ताकि संविदात्मक नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

6. एनएसएफडीसी द्वारा दिए गए उत्तरों से, समिति को यह पता चला है कि वर्तमान में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के संबंध में दो आवेदन लंबित हैं, एक आवेदक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यह भी बताया गया है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए निर्धारित 5% कोटा के अंतर्गत जब भी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन पर विचार किया जाएगा।

7. समिति ने यह नोट किया कि फरवरी, 1989 में इसकी शुरुआत के बाद दिनांक 30.09.2022 तक की स्थिति के अनुसार, इसकी ऋण आधारित योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों से संबंधित केवल 17 लाख लाभार्थी रहे हैं। समिति यह जानकर निराश है कि भारत जैसे देश में, जहां विशाल जनसंख्या है, एनएसएफडीसी योजना का लाभार्थी कवरेज काफी निराशाजनक है। गत 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, ऋण योजनाओं के अंतर्गत सावधि ऋण, लघु व्यवसाय योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त और महिला समृद्धि योजना नामक ऋण योजनाओं का अधिकतम लोगों ने लाभ उठाया है। हालांकि स्टैंड अप इंडिया योजना, उद्यम निधि योजना, महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना जैसी कुछ योजनाओं के लाभार्थी कम हैं। समिति को यह भी बताया गया है कि वर्ष 2013-14 से एनएसएफडीसी ने अपने स्कंध शाखा के अंतर्गत योजनाओं तक पहुंच बढ़ाने

के लिए अन्य एजेंसियों के साथ भागीदारी की है। समिति यह जानना चाहती है कि क्या इस कार्यनीति को अपनाने से लाभार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। समिति को लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा तैयार की जा रही किसी वैकल्पिक रणनीति के बारे में भी अवगत कराया जाये। समिति यह सिफारिश करती है कि अनुसूचित जाति के कम लाभार्थियों वाली योजनाओं को विशेष रूप से लक्षित अनुसूचित जाति की आबादी के बीच पर्याप्त रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो उन विशिष्ट योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि एनएसएफडीसी को योजनाओं के मानदंडों में सुधार करने जैसे कि ऋण सीमा और पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। एनएसएफडीसी ने जोर देकर कहा है कि किसी भी ब्याज राजसहायता से एनएसएफडीसी को कोई ब्याज मार्जिन लाभ नहीं मिलेगा और यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लक्षित समूह को सहायता जारी रखने और यहां तक कि दीर्घावधि में अपनी परिचालन लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार पर अधिक निर्भर हो जाएगा। तथापि, समिति इस तथ्य पर बल देती है कि इस योजना का लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए उनके लिए किसी भी प्रकार की ऋण राशि चुकाने के लिए ब्याज दर को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। अक्सर जिन ब्याज दरों को निगम ठीक मानता है, वे अनुसूचित जाति उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में नहीं आती हैं। इसके अलावा, समिति का मानना है कि एनएसएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य स्वयं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बजाय अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करना होना चाहिए। अतः, जिन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा है, उनके लिए ब्याज दरों को कम करना फिलहाल एक तार्किक समाधान प्रतीत होता है। लाभार्थियों की संख्या बढ़ने पर ऐसी योजनाओं के लिए ब्याज दरों को वापस उसी दर पर लाया जा सकता है।

8. समिति ने पाया कि दिनांक 31.10.2022 तक की स्थिति अनुसार, एनएसएफडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी इसकी शुरुआत के बाद 33 वर्षों की अवधि के दौरान 1500 करोड़ रुपये है। समिति की यह राय है कि एनएसएफडीसी द्वारा शुरू की जा रही ऋण योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, 1500 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है। समिति को यह बताया गया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएसएफडीसी ने 2500 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी की मांग की है, इस

संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणी अभी प्राप्त नहीं हुई है। समिति यह सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां बढ़ाने हेतु एनएसएफडीसी इस मामले को सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर जोरशोर से उठाए।

9. वर्ष 2021-22 के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जातियों के 16395 लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से 5932 लोग नियत वेतन पाले वाले थे और 4926 लोग अपने ही कारबार में लगे हुए थे। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि 5537 लोग अभी भी बेरोजगार हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि रोजगार के अभाव में अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रशिक्षण के बाद दिशाहीन छोड़ दिया जाता है। यदि प्रशिक्षुओं को रोजगार नहीं मिलता है तो कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। अत:, समिति यह सिफारिश करती है कि एनएसएफडीसी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करे कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को कौशल प्रशिक्षण के बाद नौकरी मिले। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग या तो नियत वेतन पाने वाले हैं या अपने ही कारबार में लगे हुए हैं जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि एनएसएफडीसी एजेंसियों/संभावित नियोक्ताओं के साथ संपर्क करे और भर्ती शिविर आयोजित करे जहां प्रशिक्षुओं की प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाए और मौके पर उनकी भर्ती की जा सके। समिति इस बात को रेखांकित करना चाहती है कि प्रत्येक प्रशिक्षु को उचित पारिश्रमिक के वायदे के साथ आजीविका के साधन प्रदान किए जाएं ताकि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य विफल न हो।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि वृत्तिका राशि को 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपये प्रति माह किया जाए जो वर्तमान मुद्रास्फीति दर और जीवन स्तर के अनुरूप है। इससे कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आवेदन करने के लिए और अधिक आवेदकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

10. समिति नोट करती है कि ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा कोई समर्पित सुविधा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। समिति यह देखकर परेशान है कि एनएसएफडीसी इन स्कीमों के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण स्तर पर राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) पर निर्भर है। समिति यह सिफारिश करती है कि

एनएसएफडीसी को इन स्कीमों का लाभ उठाने में ग्रामीणों की मदद करने के लिए एससीए के समन्वय में ग्रामीण स्तर पर समर्पित सुविधा केंद्र स्थापित करने चाहिए। समिति इस तथ्य पर बल देना चाहती है कि जमीनी स्तरों पर एनएसएफडीसी स्कीमों की पहुंच के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण स्तरीय लक्षित समूह को उन स्कीमों के नियमित अपडेट जैसी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए जिन स्कीमों को एनएसएफडीसी द्वारा चलाया जा रहा है साथ ही विभिन्न स्कीमों के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि आदि सहित ऋण और गैर-ऋण स्कीमों हेतु आवेदन करने के लिए कागजी कार्यवाही करने और प्राप्त कौशल प्रशिक्षण के आधार पर उद्यमशीलता अथवा कारोबार को शुरू कर उनके भविष्य को किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए, इस बारे में सहायता प्रदान की जाए।

11. समिति इस बात से हैरान है कि एनएसएफडीसी द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमों में व्यापक लाभार्थी कवरेज नहीं है। समिति यह भी महसूस करती है कि स्कीमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, अनुसूचित जाति की अधिकांश आबादी अभी भी उनसे अनजान है। समिति का मत है कि जब तक स्कीमों को अच्छी तरह से प्रचारित और विज्ञापित नहीं किया जाता है, तब तक लक्षित समूह का इन स्कीमों के साथ परिचय नहीं होगा। समिति यह सिफारिश करती कि वर्तमान में एनएसएफडीसी द्वारा किए जा रहे उपायों के अलावा, टीवी और रेडियो विज्ञापनों को प्रमुख चैनलों और एफएम स्टेशनों पर प्रसारित किया जाए। इसके अलावा यह भी सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, जिला और ग्राम स्तरों पर इन योजनाओं के यथातथ्य प्रचार के लिए गैर-सरकारी संगठनों जैसी विभिन्न एजेंसियों को शामिल किया जाए।

12. समिति नोट करती है कि एनएसएफडीसी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के माध्यम से ऋण प्रदान करता है तथा यह भी कि इन एससीए के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं। समिति इस बारे में भी अवगत होना चाहती कि क्या विभिन्न एससीए/सीए द्वारा प्रस्तुत उपयोग रिपोर्टों का कोई विश्लेषण किया गया है। यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? इसके अलावा, यदि कोई कमी/विसंगतियां पाई जाती हैं, तो एससीए/सीए से किस प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है? एनएसएफडीसी द्वारा एससीए/सीए के साथ विभिन्न स्कीमों की

प्रगति की समीक्षा के संबंध में, उन स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने और रणनीतियां तैयार का सुझाव दिया जाता है जिनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि एनएसएफडीसी के अधिकारी एससीए की बोर्ड बैठकों में भाग लेते हैं और लंबित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। समिति चाहती है कि उसे इन लंबित मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। समिति सिफारिश करती है कि इन बैठकों में कवर किए जाने वाले लाभार्थियों और बजट उपयोग के संदर्भ में एससीए को वार्षिक लक्ष्य दिये जाए। समिति को यह बताया गया है कि एनएसएफडीसी के अधिकारी एनएसएफडीसी द्वारा वित्तपोषित इकाइयों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। समिति को ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों से अवगत कराया जाए। यह भी सिफारिश की गई है कि ऐसे दौरे संबंधित इकाइयों को पूर्व सूचना दिए बिना किए जाएं। इसके अलावा, औपचारिक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाए और चूककर्ता एससीए को पाई गई किसी विसंगति के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए।

13. समिति नोट करती है कि मूल्यांकन के दायरे में आने वाले राज्यों की संख्या सीमित है और बाह्य मूल्यांकन के लिए चुने गए लाभार्थियों की संख्या भी कम है। यह एनएसएफडीसी ऋण और गैर-ऋण स्कीमों की समग्र पहुंच के बारे में एक अच्छी तस्वीर पेश कर सकता है, लेकिन वास्तविकता कल्पना से परे है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान, ऋण स्कीमों के तहत केवल 13 राज्यों की जांच की गई और गैर-ऋण स्कीमों के तहत 13 राज्यों की जांच की गई। हालांकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 में, ऋण स्कीमों के तहत 9 राज्यों जांच की गई और गैर-ऋण स्कीमों के तहत 7 राज्यों की जांच की गई। समिति महसूस करती है कि लगातार वर्षों तक मूल्यांकन अध्ययनों के दौरान यादृच्छिक सर्वेक्षण करते समय, मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए परिवर्तनशील चीजों को स्थिर रखा जाना चाहिए। वर्ष 2019-20 के दौरान एनएसएफडीसी तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए अलग-अलग मूल्यांकन अध्ययनों का तुलनात्मक विश्लेषण करते समय भी इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। जैसा कि उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, एनएसएफडीसी अध्ययनों ने ऋण आधारित स्कीमों के लिए 9 राज्यों में अनुसूचित जाति के 2700 लोगों को ध्यान में रखा गया है। इनमें से सौ फीसदी ने सहायता का उपयोग किया और प्रदान की गई सहायता से 100% ने परिसंपत्ति अर्जित की। इसके परिणामस्वरूप 10.52% लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर आाए और 11.52% दोहरी गरीबी रेखा से ऊपर आए। तथापि, मंत्रालय की ओर से मूल्यांकन किए

जाने पर इन आंकड़ों में अंतर पाया गया है जिसमें ऋण आधारित स्कीमों के लिए 5 राज्यों में अनुसूचित जाति के 3300 लोगों को ध्यान में रखा गया था। इनमें से 99.6% लोगों ने सहायता का उपयोग किया और प्रदान की गई सहायता से 99.5% ने परिसंपत्ति अर्जित की। इसके परिणामस्वरूप, 68.1% लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर आए और 25.7% दोहरी गरीबी रेखा से ऊपर आए। गैर-ऋण आधारित स्कीमों के मामले में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों में भी इसी प्रकार के अंतर देखे गए हैं। एनएसएफडीसी ने 7 राज्यों में अनुसूचित जाति के 430 लोगों का मूल्यांकन किया है और मंत्रालय के पास 5 राज्यों के 400 प्रतिदर्श थे। एनएसएफडीसी के अध्ययनों के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद रोजगार पाने वाले अनुसूचित जाति के लोग 27% थे, 12% लोग अपने ही कारबार में लगे हुए थे और 61% लोग बेरोजगार थे। मंत्रालय के मूल्यांकन के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद रोजगार पाने वाले अनुसूचित जाति के लोग 44% थे, 36% अपने कारबार में लगे हुए थे और 20% बेरोजगार थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि परिवर्तनशील स्थितियों यानी राज्यों और लाभार्थियों की संख्या के बदलने से, अध्ययनों के परिणाम में काफी बदलाव होता है। बताई गई स्थिति के आलोक में समिति यह सिफारिश करती है कि एनएसएफडीसी द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के कवरेज के संबंध में अखिल भारतीय मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए सभी राज्यों और लाभार्थियों का वास्तविक समय मूल्यांकन चरणों में समग्र रूप से किया जाए, जिसमें राज्यों और लाभार्थियों की संख्या स्थिर रखी जाए। यह इन स्कीमों की सफलता और निचले स्तर पर इनके प्रसार के संदर्भ में एक अधिक सटीक और सुसंगत तस्वीर भी प्रदान करेगा।

नई दिल्ली;
24 मार्च 2023
4 चैत्र , 1945 (शक)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

अनुलग्नक क

एनएसएफडीसी: 2019-2020 से 2022-2023 तक राज्यवार संवितरण और कवर किए गए लाभार्थी (30.09.2022 तक)

(रुपए लाख में)

क्र सं.	राज्य	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023(30.09.22 तक)	
		वास्तविक	लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक	लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक	लाभार्थियों की संख्या	वास्तविक	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0	0.00	0	0.82	1	0.00	0
2	आंध्र प्रदेश	12908.25	5355	137.56	102	2278.59	4007	357.25	958
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	1.84	2	0.00	0
4	असम	12.67	10	23.79	28	4.00	4	0.00	0
5	बिहार	84.45	98	57.72	96	44.77	44	0.00	0
6	चंडीगढ़	0.92	1	30.23	74	2.54	4	22.50	65
7	छत्तीसगढ़	31.12	29	187.21	224	186.09	196	104.74	116
8	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	4.99	2	0.00	0
9	दिल्ली	213.49	84	180.02	49	159.80	185	204.07	128
10	गोवा	9.52	3	11.19	3	0.76	2	0.00	0
11	गुजरात	4384.94	4126	1679.34	728	235.52	202	25.21	33
12	हरियाणा	594.70	316	482.28	937	1559.62	1216	481.80	800
13	हिमाचल प्रदेश	1179.63	2159	426.75	282	29.38	15	74.30	153
14	जम्मू व कश्मीर	514.30	176	270.00	100	1712.06	794	0.98	1
15	झारखंड	38.87	48	33.53	45	0.37	1	0.00	0
16	कर्नाटक	7290.45	7952	6807.52	5540	6573.45	4353	3739.07	1935
17	केरल	2758.85	1772	4266.01	3166	4395.66	3079	4081.61	4564
18	लद्दाख	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.46	1	0.00	0
20	मध्य प्रदेश	982.19	922	1507.01	1661	2126.34	1883	0.00	0
21	महाराष्ट्र	1080.67	761	1185.61	1428	7152.10	3277	418.80	300
22	मणिपुर	0.00	0	12.08	9	1.05	1	25.57	27
23	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24	मिजोरम	0.00	0	0.31	1	0.00	0	0.00	0
25	नागालैंड	0.00	0.00	5.42	2	1.28	1	0.00	0
26	ओडिशा	224.55	277	260.48	279	391.29	384	0.00	0
27	पुद्दुचेरी	337.23	635	228.18	434	77.42	80	85.88	24
28	पंजाब	3362.44	3518	1640.38	1488	3783.71	2907	2950.38	2345
29	राजस्थान	7556.47	6129	5283.10	7931	68.30	84	11.39	2
30	सिक्किम	63.00	30	99.00	40	103.13	43	0.00	0
31	तमिलनाडु	11562.17	12079	6008.03	3595	12929.20	13824	6334.92	2906
32	तेलंगाना	155.90	228	1256.07	2485	272.65	415	0.00	0
33	त्रिपुरा	1222.78	1253	3229.34	730	2465.66	2798	899.74	300
34	उत्तर प्रदेश	8407.89	10407	12343.54	8922	4101.21	3967	1084.00	528
35	उत्तराखंड	174.57	286	0.34	2	171.43	111	0.00	0
36	पश्चिम बंगाल	2998.37	25316	7171.08	53621	6365.32	32336	0.00	0
	कुल :	**68150.39**	**83970**	**54823.12**	**94002**	**57200.81**	**76219**	**20902.21**	**15185**

एनएसएफडीसी: दिनांक 30.09.2022 तक राज्य-वार / योजना-वार निवल संवितरण और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

अनुलग्नक ख

(रुपए लाख में)

संचयी निवल संवितरण

क्र सं.	राज्य	टी एल	एमसीएफ	एमएसवाई	एमकेवाई	एसएसवाई	ईएलएस	एलवीवाई	उद्यम निधि योजना	वीईटीएलएसएम	एएमवाई	ग्रीन बिजनेस	स्टैंड अप इंडिया	स्माइल योजना	कुल
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2	आंध्र प्रदेश	46635.20	3965.49	2433.96	0.00	0.00	8.98	21285.12	0.00	0.00	0.00	2317.50	171.66	0.00	76817.91
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
4	असम	1020.12	257.19	252.00	0.00	0.00	0.00	301.89	0.00	0.00	9.90	0.00	9.46	0.00	1850.56
5	बिहार	2599.44	943.91	482.32	0.00	0.00	4.63	1719.75	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00	6116.72
6	चंडीगढ़	744.48	100.53	38.35	0.00	0.00	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	963.58
7	छत्तीसगढ़	6855.45	104.23	136.90	0.00	0.00	191.23	2233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9521.00
8	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव	26.02	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05
9	दिल्ली	3734.63	1.97	0.00	0.00	0.00	48.89	1669.10	0.00	0.00	0.00	54.36	0.00	0.00	5508.95
10	गोवा	293.33	2.09	0.00	0.00	0.00	6.80	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.53
11	गुजरात	22126.51	5845.77	6895.23	0.00	0.00	566.53	2656.85	589.04	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	38699.93
12	हरियाणा	4371.61	1106.53	456.30	0.00	1.60	47.47	3906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9890.50
13	हिमाचल प्रदेश	2491.10	969.86	1344.29	0.00	0.00	68.86	452.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5336.22
14	जम्मू व कश्मीर	2381.65	270.76	275.42	44.30	0.00	56.68	2741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5770.01
15	झारखंड	1498.70	430.38	868.15	0.00	0.00	0.00	348.45	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	3185.68
16	कर्नाटक	29310.91	2873.74	2688.48	0.00	46.80	626.52	32314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	235.94	0.00	68096.46
17	केरल	7282.80	1764.75	3261.94	27.96	3.06	34.67	18820.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	31229.71
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20	मध्य प्रदेश	13728.75	1089.88	786.84	175.00	0.00	0.00	9324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	66.16	0.00	25170.90
21	महाराष्ट्र	35161.45	5537.26	6093.39	230.00	0.00	384.84	5679.58	0.00	0.00	868.42	3.15	18.71	0.00	53976.80
22	मणिपुर	257.54	9.00	409.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.04
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
26	ओडिशा	2382.34	121.89	30.00	0.00	0.00	0.00	1494.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	4047.54
27	पुड्डुचेरी	843.25	69.88	113.90	0.00	0.00	211.85	392.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.83
28	पंजाब	3894.60	4691.03	496.60	0.00	0.00	22.04	15999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25103.96
29	राजस्थान	11320.44	996.10	926.23	180.10	121.30	68.17	8848.46	0.00	0.00	0.00	205.95	0.00	0.00	22666.75
30	सिक्किम	1165.47	24.75	48.90	19.94	0.00	0.00	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.63
31	तमिलनाडु	5212.12	6624.26	3429.65	0.00	0.00	190.96	37505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00	52976.40
32	तेलंगाना	1008.91	24.84	337.84	0.00	0.00	0.69	5457.64	0.00	28.27	0.00	0.00	123.56	0.00	6981.75
33	त्रिपुरा	7404.00	3708.52	357.45	0.00	0.00	1490.22	10770.19	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	23928.38
34	उत्तर प्रदेश	13215.61	11545.21	1218.97	25.71	0.00	1.06	31782.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	0.00	57808.67
35	उत्तराखंड	1265.16	86.62	57.52	0.00	0.00	0.00	763.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.54
36	पश्चिम बंगाल	6609.42	258.08	34273.32	0.00	9.03	2447.52	4771.70	0.00	540.00	0.00	1480.00	10.00	0.00	50399.07
	कुल :	234841.01	53424.92	67712.95	703.01	181.79	6478.61	221955.76	589.04	568.27	878.32	4665.63	772.66	0.00	592771.97

संवितरित लाभार्थियों की संख्या

क्र सं.	राज्य	टी एल	एमसी एफ	एमएस वाई	एमकेवाई	एसएस वाई	ईएलएस	एलवी वाई	उद्यम निधि योजना	वीईटीएलएसएम	एएमवाई	ग्रीन बिजनेस	स्टैंड अप इंडिया	स्माइल योजना	कुल
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
2	आंध्र प्रदेश	156112	71550	42401	0	0	4	23089	0	0	0	2250	22	0	295428
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
4	असम	1761	2078	963	0	0	0	253	0	0	50	0	1	0	5106
5	बिहार	4312	7200	4280	0	0	2	2479	0	0	0	508	0	0	18781
6	चंडीगढ़	723	675	262	0	0	0	69	0	0	0	0	2	0	1731
7	छत्तीसगढ़	3102	1105	989	0	0	94	1465	0	0	0	0	0	0	6755
8	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव	13	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	19
9	दिल्ली	4880	5	0	0	0	20	942	0	0	0	40	0	0	5887
10	गोवा	116	25	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	148
11	गुजरात	18135	28661	23893	0	0	303	2068	1191	0	0	0	2	0	74253
12	हरियाणा	2157	2217	2225	0	4	19	2635	0	0	0	0	0	0	9257
13	हिमाचल प्रदेश	1469	4878	3408	0	0	30	163	0	0	0	0	1	0	9949
14	जम्मू व कश्मीर	1277	302	500	308	0	25	1253	0	0	0	0	0	0	3665
15	झारखंड	1169	1831	2923	0	0	0	387	0	0	0	100	0	0	6410
16	कर्नाटक	76182	30723	27262	0	300	363	28209	0	0	0	0	20	0	163059
17	केरल	8401	8568	8691	84	43	13	9914	0	0	0	0	2	0	35716
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
20	मध्य प्रदेश	10687	8136	5005	500	0	0	12569	0	0	0	0	8	0	36905
21	महाराष्ट्र	27814	26119	25813	575	0	189	5631	0	0	1749	5	3	0	87898
22	मणिपुर	163	20	1705	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	1926
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
26	ओडिशा	1244	1171	200	0	0	0	1447	0	0	0	0	1	0	4063
27	पुड्डुचेरी	711	232	355	0	0	144	731	0	0	0	0	0	0	2173
28	पंजाब	4796	10518	2252	0	0	15	9013	0	0	0	0	0	0	26594
29	राजस्थान	9965	6392	5897	976	652	23	14225	0	0	0	183	0	0	38313
30	सिक्किम	897	68	250	64	0	0	253	0	0	0	0	0	0	1532
31	तमिलनाडु	10544	16376	6945	0	0	47	33458	0	0	0	0	1	0	67371
32	तेलंगाना	362	66	1200	0	0	1	6729	0	21	0	0	10	0	8389
33	त्रिपुरा	6347	11391	1908	0	0	848	5271	0	0	0	100	0	0	25865
34	उत्तर प्रदेश	30973	75609	6862	200	0	1	39992	0	0	0	0	2	0	153639
35	उत्तराखंड	682	1771	209	0	0	0	714	0	0	0	0	0	0	3376
36	पश्चिम बंगाल	14475	1273	345748	0	125	1268	3629	0	350	0	1150	1	0	368019
	कुल :	399469	318961	522146	2707	1124	3412	206651	1191	371	1799	4336	76	0	1462243

परिशिष्ट I

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES
(2022-2023)

SEVENTEENTH LOK SABHA)

FOURTH SITTING
(10.06.2022)

MINUTES

The Committee sat from 1100 hrs. to 1230 hrs. in the Committee Room D, Ground Floor, Parliament House Annexe , New Delhi-110001

PRESENT

Shri Kirit Premjibhai Solanki – Chairperson

MEMBERS - LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Santokh Singh Chaudhary
4. Shri Guman Singh Damor
5. Shri Anil Firojiya
6. Shri Rattan Lal Kataria
7. Smt. Goddeti Madhavi
8. Smt. Pratima Mondal
9. Shri Chhedi Paswan
10. Shri Upendra Singh Rawat
11. Smt. Sandhya Ray
12. Shri Jagannath Sarkar

MEMBERS - RAJYA SABHA

13. Shri Abir Ranjan Biswas
14. Smt. Kanta Kardam
15. Dr. V. Sivadasan
16. Dr. Sumer Singh Solanki

SECRETARIAT

1. Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2. Shri P.C.Choulda, Director
3. Shri V.K.Shailon, Deputy Secretary

LIST OF WITNESSES

Ministry Of Social Justice & Empowerment
(Department Of Social Justice & Empowerment)

1.	Shri R.Subrahmanyam	-	Secretary
2.	Shri Surendra Singh	-	Additional Secretary
3.	Ms. Kalyani Chadha	-	Joint Secretary

National Scheduled Castes Finance And Development Corporation (NSFDC)

Shri Rajnish Kumar Jenaw - CMD

2. At the outset, the Chairperson welcomed all to the sitting of the Committee to have a discussion with the representatives of the Ministry of Social Justice and Empowerment and National Scheduled Caste Finance Development Corporation (NSFDC) on the subject "Review of Functioning of National Scheduled Caste Finance Development Corporation". The Chairperson then outlined the agenda of the sitting. Thereafter the representatives briefly introduced themselves.

3. The representatives of the Ministry then briefed the Committee on the subject via discussions power point presentations. Brief information provided on the following points:-

- The NSFDC was set up on 08.02.1989 as a Company 'not for profit' under Section 25 of Companies Act, 1956.
- Incorporation of NSFDC (not for profit).
- Constitutional Provision for SCs & NSFDC Objectives.
- Eligibility criteria under NSFDC.
- Details about Channel Partners/Agencies.
- Performance of NSFDC at a glance.
- Details of Major Schemes of NSFDC
- Year-wise disbursement during the last 05 years.
- Year-wise beneficiary covered.
- NSFDC's manpower.

- Reservations Policy & Rosters.
- Percentage of Reservation for SCs/STs.
- Capacity Building/Knowledge Enhancement of Employees.
- Initiative by NSFDC.

4. Thereafter, Members of the Committee raised numerous queries. Important issues which were raised by the Committee and responded to by the Witnesses which may be summarised as under:-

i. Need for increasing the number of Board of Director and provide due representation to SC category.
ii. Filling up of vacancies under NSFDC.
iii. Loan facilities for women and rebate in interest.
iv. Need for at least one exhibition and fairs regarding term loan for awareness in each parliamentary constituency and also in collaboration with local self-bodies.
v. Increasing the amount of funds sanctioned by the Government in order to sanctioned more loans or for spending it for training programme.
vi. Need for increasing the target group to increase the number of skilful, trained Scheduled Castes youths.
vii. Need for comprehensive meeting with state representatives of NSFDC.
viii. Shortening the process of loan disbursement.
ix. Enhancing of income criteria for loan eligibility.
x. Increasing the number of training partners.
xi. Outsourcing of sanitary and security personnel.
xii. Ensuring minimum wages to contract/outsourced employees.

5. Thereafter, the representatives of the Ministry/NSFDC responded to these queries one by one. On certain points on which the information was not readily available with the witnesses, the Chairperson directed the representatives concerned to submit the replies within 15 days to the Secretariat.

(The witnesses then withdrew)

The Committee sitting then adjourned.

A Verbatim record of the proceedings has been kept.

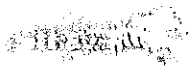

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES
(2022-2023)

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

ELEVENTH SITTING
(11.10.2022)

MINUTES

The Committee sat from 1100 hrs. to 1300 hrs. Committee Room 2, first floor Parliament House Annexe Extension Building, Block A, New Delhi.

PRESENT

Shri Rattan Lal Kataria – Acting Chairperson/ Convenor

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Tapir Gao
3. Smt. Goddeti Madhavi
4. Smt. Pratima Mondal
5. Shri Chhedi Paswan
6. Shri Prince Raj
7. Shri Jagannath Sarkar
8. Shri Ajay Tamta
9. Shri Rebati Tripura
10. Shri Krupal BalajiTumane

RAJYA SABHA

11. Shri Abir Ranjan Biswas
12. Dr. V.Sivadasan
13. Shri Samir Oraon

SECRETARIAT

1 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2 Shri. V. K. Shailon, Deputy Secretary

Since Shri Kirit Premji Bhai Solanki, Hon'ble Chairperson couldn't attend meeting due to unprecedented reasons, therefore as per the provision under Rule 258 (3) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha which states that "If the Chairperson is absent from any sitting, the Committee shall choose another member to act as Chairperson for that sitting.", the Committee unanimously elected Shri Rattan Lal Kataria as acting Chairperson to preside over the sitting of the Committee. The Committee also paid their respects towards Shri Mulayam Singh Yadav, Former Chief Minister of Uttar Pradesh who passed away on 10.10.2022 and observed 2 minutes silence as a mark of respect in the memory of the departed soul.

2. Thereafter, the Hon'ble Chairperson welcomed all the Members to the sitting of the Committee. Thereafter, the representatives of the Ministry of Social Justice & Empowerment and

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) were called in to render evidence before the Committee. The Chairperson briefly outlined the agenda of the sitting.

3. A power point presentation was made by the representative of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) on functioning of NSFDC. During the said power point presentation, the objectives of NSFDC along with the eligibility for availing various credit schemes offered by NSFDC were outlined. The Committee was also apprised regarding the various schemes offered by NSFDC and disbursed through them.

4. Thereafter, Members of the Committee raised numerous queries with respect to issues of reservation for scheduled castes and scheduled tribes along with credit facilities and other benefits being provided by National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC). Some of the pertinent points which rose among deliberations are enlisted as under:

a) Procedure for selection of SC beneficiaries' alongwith the disbursement of loan to them under various schemes in existence in NSFDC and what are the grounds of rejection of SC applicants, if any.
b) Ceiling limit for SC students parent income be raised from 3 lakh to 8 lakh to increase the coverage of scholarship schemes.
c) Low allocation of funds i.e, Rs 1500 crores since the time of inception of NSFDC i.e., 1989.
d) Tribal percentage unfilled in NSFDC.
e) 09 posts are vacant in Board of Directors in NSFDC which needs to be filled at the earliest
f) Since there are 74 employees in NSFDC, there is a need to form SC/ST Association.
g) Whether quarterly meeting are held with Liaison Officers. If yes, minutes thereof.
h) Since Scheduled Castes individuals have scarcity of resources like internet, computer, and television. Therefore, schemes should be advertised aggressively at village/ Block level so that more people can be made aware of the schemes in place.
i) How many SC individuals have landed jobs after skill training? Also, it was suggested that no interest should be levied on beneficiaries availing loan till the time they get job.
j) Whether NSFDC has convened meeting with DICCI to make Banks offering loans more effective.
k) Number of beneficiaries under the venture capital scheme of NSFDC.
l) NSFDC offers loans to beneficiaries through state Channelizing agencies and not directly.

5. Thereafter, the representatives of the Ministry and NSFDC responded to the issues raised by the Members of the Committee. The Chairperson directed to furnish written replies to the points which could not be addressed during the sitting to the Secretariat within 15 days.

The witnesses then withdrew.

The sitting of the Committee then adjourned.

A copy of the verbatim proceedings has been kept on record.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (2022-2023)

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

EIGHTEENTH SITTING (23.03.2023)

MINUTES

The Committee sat from 1000 hrs. to 1100 hrs. in Committee Room No. 53, first floor, Parliament House , New Delhi-110001

PRESENT

Shri Kirit Premjibhai Solanki - Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Guman Singh Damor
4. Shri Tapir Gao
5. Shri Rattan Lal Kataria
6 Shri Chhedi Paswan
7. Smt. Sandhya Ray
8. Shri Jagannath Sarkar
9. Shri Ajay Tamta

RAJYA SABHA

1. Shri Abir Ranjan Biswas
2. Shri Kamakhya Prasad Tasa

SECRETARIAT

1 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2 SHri P.C. Choulda, Director
3 Shri. Mohan Arumala, Under Secretary

At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Committee. The Committee then considered the following draft report(s):

i. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirtieth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Examination of Annual Reports of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) presented under Article 338(5)(d) of the Constitution of India and the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Government".

ii. "Review of Functioning of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)."

iii. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Role of autonomous bodies/educational Institutions including Central Universities,

Engineering Colleges, IIMs, IITs, Medical Institutes etc. in socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with special reference to pre-matric/post-matric scholarships in Navodaya Vidyalayas/Kendriya Vidyalayas."

2. After due consideration, the Committee adopted the aforementioned Report(s) without any modification. The Committee also authorized the Chairperson to present the Report to both the Houses of Parliament during the ongoing Session of the Parliament.

The sitting of the Committee then adjourned.